

कल दिल्ली वर राठी प्रार्थना को उपान
किसे जाने का निर्देश किया एवं बहुत
बुं दौरान अधिकार प्रार्थना के उपान
करने को दुहराना।

हमने बहुत प्रार्थना कर एवं दिल्ली
प्रार्थना का अर्पण किया। प्रार्थना
द्वारा प्रार्थना दिल्ली प्रार्थना में दिल्ली
राठी प्रार्थना दिल्ली को का निर्देश
किराजा का दिन पर उसी मुनवा
की जायत हम न्यायालय में आदेश

दिनांक 12.4.2022 द्वारा वहीमान खारेज
को दिल्ली राठी अदा करने का
आदेश जारी किया गया। इधर आदेश
जारी करने से पूर्व प्रार्थना द्वारा
आराधीयार के विरुद्ध से संबंध में को
तत्काल प्रेश नही किया गया। जब

प्रार्थना द्वारा धारा 151 सपॉरिटे 6R17
के वदत न्यायालय में आदेश दिनांक

12.4.2022 में संशोधन चला ही प्रार्थना
न्यायालय द्वारा जारी आदेश में
संशोधन इन प्रवधानों के वदत नही
किया जा सकता। प्रार्थना यदि न्यायालय
के आदेश में व्यक्ति का तो उसे सहाय
न्यायालय में निगामी वरुह करनी

पाहिने की। अर्थात् उपरान में विचारित
रही आराधी वहीमान में प्रार्थना के
नाम नही है। अन्य व्यक्ति जो वहीमान
के नाम है। प्रार्थना में दिनांक

12.4.22 को जारी आदेश में प्रार्थना
उपार का संशोधन करना उचित नही
समझते है। और प्रार्थना पर प्रार्थना
खारिज किया जाना उचित समझते है।

सपट्टाधिकारी

151 मधील आदेशां हे कि प्रार्थना व हे प्रार्थना
 कि प्रार्थना व हे प्रार्थना
 कि प्रार्थना व हे प्रार्थना
 कि प्रार्थना व हे प्रार्थना
 कि प्रार्थना व हे प्रार्थना

उपसंचालकाधिकारी
 धौलपुर (राज.)